कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 29/07/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.07.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली, गाजीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 313/2024 धारा 309(4) BNS से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 24.07.2024 को फतेहपुर सिकन्दर थाना कोतवाली क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली, गाजीपुर पर मु0अ0सं0 313/2024 धारा 309(4) BNS बनाम हल्के नीले रंग की स्कूटी सवार अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। दिनांक 27.07.2024 को आर0टी0आई0 चौराहे पर रात्रि चेकिंग के दौरान उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त रामाशंकर प्रताप यादव पुत्र महेन्द्र सिंह यादव निवासी बारा बंगला थाना कोतवाली गाजीपुर को समय 23.45 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से उक्त घटना मे प्रयुक्त इलेक्ट्रिक स्कूटी व छीनी गयी चैन बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ--- अभियुक्त से पूछताछ पर बता रहा है कि दिनांक 22.7.24 को मोहल्ला कालीनगर कालोनी फुल्लनपुर में घटी लूट की घटना मेरे द्वारा किया गया है। फुटेज व फोटो तथा स्कूटी मेरी ही है तथा अपने पहने हुए हाफ पैन्ट के दाहिने जेब से पन्नी में रखी पीली धातु की लूटी हुई एक अदद चैन देते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गयी है। साहब मुझे माफ कर दीजिये।

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद चैन
2. एक अदद स्कूटी

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

रामाशंकर प्रताप यादव पुत्र महेन्द्र सिंह यादव निवासी बारा बंगला थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 313/24 धारा 309(4),317(2) BNS थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 352/22 धारा 147,323,504,506,325,336 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02. **थाना कोतवाली, गाजीपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद चाकू बरामद किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.07.2024 को विशेश्वरगंज तिराहे के पास चेकिंग किया जा रहा था कि मुखबिरी सूचना पर फुल्लनपुर रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्त धर्मेन्द्र भारती पुत्र राजदेव राम निवासी ग्राम कोटवा नरायणपुर थाना नरही जनपद बलिया उम्र 35 वर्ष के **पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद चाकू बरामद कर** गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र, कारतूस व चाकू के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 325/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट बनाम **धर्मेन्द्र भारती** उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

धर्मेन्द्र भारती पुत्र राजदेव राम निवासी ग्राम कोटवा नरायणपुर थाना नरही जनपद बलिया उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण

एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 325/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 324/2024 धारा 140(1),351(2) BNS थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

03. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 05 लडकियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाली अभियुक्ता की गिरफ्तारी व पीडिताओं की बरामदगी की गयी।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 26.07.2024 को अभियुक्ता पूजा पत्नी रोहित बासफोर निवासी रजदेपुर देहाती थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा अपने गांव की कुल पांच लडकियों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री अजय कुमार पुत्र श्रीकान्त वासफोर निवासी रजदेपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 320/2024 धारा 137(2) BNS बनाम पूजा उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना से सम्बन्धित पीड़िताओं की सकुशल बरामदगी हेतु जरिये दूरभाष आर0पी0एफ0 गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज को सूचित किया गया। जिसके आधार पर आर0पी0एफ0 प्रयागराज द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीडिताओं व अभियुक्ता के मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना के आधार पर उ0नि0 श्री अशोक कुमार गुप्ता मय हमराह के चाइल्ड हेल्प लाईन यूनिट प्रयागराज पहुँचा। जहाँ से चाइल्ड हेल्प लाईन यूनिट प्रयागराज द्वारा पीडिताओं को बरामद कराया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता का नाम पता

1. पूजा पत्नी रोहित बासफोर निवासी रजदेपुर देहाती थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर हालपता फल की दुकान गुडगांव, हरियाणा

<u>आपराधिक इतिहास –</u>

1. मु0अ0सं0 320/24 धारा 137(2) BNS थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

4. <u>थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर मु0अ0स0 94/24 धारा 65(2)बीएनएस, 5एम/6 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त की सफल गिरफ्तारी।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27.07.2024 को थाना करण्डा पर पंजीकृत मु0अ0स0 94/24 धारा 65(2)बीएनएस, 5एम/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अशोक सिंह उर्फ बिल्ला पुत्र स्व0 जगदीश सिंह निवासी गोशन्देपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को मुखबिर की सूचना के आधार पर बरवा नहर पुलिया के पास से आज दिनांक 28.07.2024 को समय करीब 05.45 बजे गिरफ्तार किया गया। ज्ञातव्य है कि कल दिनाँक 27.07.2024 को थाना करण्डा को सूचना मिली थी कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी की लगभग 3 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। तत्काल थाना करण्डा द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -</u>.

अशोक सिंह उर्फ बिल्ला पुत्र स्व0 जगदीश सिंह निवासी गोशन्देपुर थाना जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. **मु0अ0सं0 94/24 धारा 65(2)बीएनएस,5एम/6 पाक्सो एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
2. **मु0अ0स0 33/21 धारा3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
3. **मु0अ0स0 133/09 धारा 110 जी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
4. **मु0अ0स0 460/11 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
5. **मु0अ0स0 890/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
6. **मु0अ0स0395/05 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
7. **मु0अ0स0414/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
8. **मु0अ0स0 419/05 धारा 110 जी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
9. **मु0अ0स0 01/02 धारा 110 जी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
10. **मु0अ0स0 208/01 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
11. **मु0अ0स0114/ 97धारा 110 जी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
12. **मु0अ0स0 102/95 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
13. **मु0अ0स0 58/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
14. **मु0अ0स0 292/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
15. **मु0अ0स0 380/13 धारा 302 भादवि थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
16. **मु0अ0स0 158/08 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
17. **एनसीआर 99/98 धारा 323/504 भादवि थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
18. **मु0अ0स0164/96 धारा 110 जी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
19. **मु0अ0स0133/95 धारा 379/411 थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
20. **मु0अ0स0 /93 धारा 41/109 (सीआरपीसी अपराध संख्या अंकित नही है) थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
21. **मु0अ0स0 106/93 धारा 110 जी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**
22. **मु0अ0स0 121/93 धारा 379/411 थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।**

23. मु0अ0स0 78/92 धारा 380/411 थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।

05. <u>थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 84/2024 धारा 498-A, 304-B भा0द0वि0 व 3/4 DP Act से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28/07/2024 को थाना नन्दगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2024 धारा 498-A, 304-B भा0द0वि0 व 3/4 DP Act से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दिलीप चौहान पुत्र सुरेश चौहान निवासी ग्राम सौरम (हरखौली) थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को दबिश के दौरान उसके घर ग्राम हरखौली (सौरम) से समय करीब 15.10 बजे गिरफ्तार किया गया । जिसके विरूद्ध थाना नन्दगंज पर वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 84/2024 धारा 498-A, 304-B भा0द0वि0 व 3/4 DP Act का अभियोग पंजीकृत किया गया था । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता</u>-

दिलीप चौहान पुत्र सुरेश चौहान निवासी ग्राम हरखौली थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष ।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 84/2024 धारा 498-A, 304-B भा0द0वि0 व 3/4 DP Act थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर